

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मांग संख्या 23
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1694.89	341.79	2036.68	1951.01	649.00	2600.01	2050.42	574.00	2624.42	2084.45	708.00	2792.45
वसूलियां	...	-49.88	-49.88	...	-170.00	-170.00	...	-100.00	-100.00	...	-110.00	-110.00
प्राप्तियां
निवल	1694.89	291.91	1986.80	1951.01	479.00	2430.01	2050.42	474.00	2524.42	2084.45	598.00	2682.45
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	10.52	...	10.52	12.41	...	12.41	13.69	...	13.69	14.25	...	14.25
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें												
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	150.08	23.00	173.08	463.60	45.00	508.60	406.19	40.00	446.19	411.37	40.00	451.37
3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं	591.08	...	591.08	300.00	...	300.00	484.33	...	484.33	484.33	...	484.33
जोड़-पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	741.16	23.00	764.16	763.60	45.00	808.60	890.52	40.00	930.52	895.70	40.00	935.70
पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल												
4. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	605.10	149.96	755.06	695.00	200.00	895.00	645.00	200.00	845.00	695.50	369.00	1064.50
5. परामर्शी, मानीटरिंग, मूल्यांकन-एनएलसीपीआर स्कीम के तहत प्रभार	1.52	...	1.52	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़-पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	606.62	149.96	756.58	700.00	200.00	900.00	650.00	200.00	850.00	700.50	369.00	1069.50
आजीविका, कौशल एवं क्षमता निर्माण												
6. क्षमता निर्माण एवं प्रचार	19.25	...	19.25	73.00	...	73.00	70.21	...	70.21	52.00	...	52.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)	119.95	...	119.95	150.00	...	150.00	174.00	...	174.00	150.00	...	150.00
जोड़-आजीविका, कौशल एवं क्षमता निर्माण	139.20	...	139.20	223.00	...	223.00	244.21	...	244.21	202.00	...	202.00
पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं												
8. पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त)												
8.01 परियोजना प्रबंधन यूनिट	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
9. आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार	...	9.95	9.95	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
10. उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10.01 कार्यक्रम के घटक	...	75.00	75.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
10.02 ईएपी के घटक	124.50	...	124.50	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
जोड़- उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	124.50	75.00	199.50	150.00	150.00	300.00	150.00	150.00	300.00	150.00	150.00	300.00
जोड़-पूर्वोत्तर सड़क परियोजनाएं	125.00	84.95	209.95	152.00	155.00	307.00	152.00	155.00	307.00	152.00	155.00	307.00
विशेष विकास पैकेज												
11. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
12. कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	5.15	...	5.15	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
13. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	37.24	...	37.24	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
जोड़-विशेष विकास पैकेज	72.39	...	72.39	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
14. सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि	...	49.88	49.88	...	170.00	170.00	...	100.00	100.00	...	110.00	110.00
	...	-49.88	-49.88	...	-170.00	-170.00	...	-100.00	-100.00	...	-110.00	-110.00
<i>निवल</i>
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	1684.37	257.91	1942.28	1938.60	400.00	2338.60	2036.73	395.00	2431.73	2070.20	564.00	2634.20
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
15. उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम	...	30.00	30.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	30.00	30.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
16. उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
17. उत्तर पूर्व हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	...	34.00	34.00	...	79.00	79.00	...	79.00	79.00	...	34.00	34.00
कुल जोड़	1694.89	291.91	1986.80	1951.01	479.00	2430.01	2050.42	474.00	2524.42	2084.45	598.00	2682.45
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	10.52	...	10.52	12.41	...	12.41	13.69	...	13.69	14.25	...	14.25
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	12.46	...	12.46	13.60	...	13.60	15.52	...	15.52	15.70	...	15.70
जोड़-सामान्य सेवाएं	22.98	...	22.98	26.01	...	26.01	29.21	...	29.21	29.95	...	29.95
सामाजिक सेवाएं												
3. अन्य सामाजिक सेवाएं	19.25	...	19.25	73.00	...	73.00	70.21	...	70.21	52.00	...	52.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	19.25	...	19.25	73.00	...	73.00	70.21	...	70.21	52.00	...	52.00
आर्थिक सेवाएं												
4. ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
5. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	30.00	30.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	30.00	30.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	...	34.00	34.00	...	79.00	79.00	...	79.00	79.00	...	34.00	34.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	259.59	...	259.59	607.00	...	607.00	571.67	...	571.67	552.67	...	552.67
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1393.07	...	1393.07	1245.00	...	1245.00	1379.33	...	1379.33	1449.83	...	1449.83
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	257.91	257.91	...	400.00	400.00	...	395.00	395.00	...	564.00	564.00
जोड़-अन्य	1652.66	257.91	1910.57	1852.00	400.00	2252.00	1951.00	395.00	2346.00	2002.50	564.00	2566.50
कुल जोड़	1694.89	291.91	1986.80	1951.01	479.00	2430.01	2050.42	474.00	2524.42	2084.45	598.00	2682.45

- सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान है।
- पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें:** ये स्कीमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती हैं। इनका उद्देश्य अन्य के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। प्रावधानों में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का व्यय शामिल है।
- पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं:** एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को कृषि एवं संबद्ध, विद्युत, जल विकास, बैंकिंग उद्योग एवं पर्यटन, परिवहन एवं संचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है।
- पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल:** केंद्रीय अव्ययगत संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का व्यापक उद्देश्य इस क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य अवसर-चक्रागत परियोजनाओं / स्कीमों के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अवसर-चक्रागत विकास की गति को तीव्र करना सुनिश्चित बनाना है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को 10% आवश्यक ईयरमार्किंग के माध्यम से उनके द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं/स्कीमों तथा क्षेत्रीय तथा/या एनईआर में राष्ट्रीय वरीयताओं वाली स्कीमों को निधियन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रावधान है।
- परामर्शी,मानीटरिंग,मूल्यांकन-एनएलसीपीआर स्कीम के तहत प्रभार:** यह प्रावधान एनएलसीपीआर स्कीम की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए परामर्शदाताओं आदि को रखने के लिए किया गया है।
- क्षमता निर्माण एवं प्रचार:** यह प्रावधान सुशासन के हित में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए है। विज्ञापन और प्रचार स्कीम के तहत प्रावधान गैर-सरकारी संगठनों एवं सरकारी एजेंसियों को व्यापार सम्मेलन, ट्रेड एक्सपो, सेमिनार, मीडिया अभियान आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करके प्रोत्साहन क्रियाकलापों के लिए है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी):** उत्तर पूर्वी क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)

इस क्षेत्र की ग्रामीण आबादी की रोजगार की जरूरतों, आय एवं प्राकृतिक संसाधन सततता को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना को विश्व बैंक के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह प्रावधान परियोजना क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए किया गया है।

8. **पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त):** 8.01 यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में

परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) के व्यय को पूरा करने के लिए है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र सड़क परियोजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाएगा।

9. **आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार:** इसे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में

चलाया जाता है, जो इस क्षेत्र में निर्माण का कार्य देखता है और चालू सड़क स्कीमों पर भी केंद्रित करता है।

10.01. **कार्यक्रम के घटक:** पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएलपीएस) को पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षित

अंतरराज्यीय सड़कों की पुनर्हाली/निर्माण/उन्नयन के लिए प्रारंभ किया गया है।

10.02. **ईएपी के घटक:** एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी राज्य सड़क विकास कार्यक्रम (नेसरिप)

परियोजना का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/ उन्नयन के लिए किया गया है।

11. **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद:** यह विशेष विकास पैकेज क्षेत्र की अवसर-चक्रागत एवं विकासात्मक परियोजनाओं के

वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए है।

12. **कार्बी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद:** यह विशेष विकास पैकेज क्षेत्र की अवसर-चक्रागत एवं विकासात्मक

परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए है।

13. **दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद:** यह विशेष विकास पैकेज क्षेत्र की अवसर-चक्रागत एवं विकासात्मक

परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए है।

14. **सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि:** यह एक विशेष निधि है जिसके माध्यम से अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अवसंरचनागत सुविधाओं का निर्माण एवं उन्नयन किया जाता है।

15. **उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम:** उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) को गुवाहाटी में इसके पंजीकृत कार्यालय के साथ 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में निगमित किया गया था। नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल व्यवहार्य औद्योगिक अवसंरचनागत एवं कृषि-बागवानी परियोजनाओं की पहचान, वित्तीय सहायता और पोषण द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इसका प्रावधान नेडफी को दीर्घकालिक सरल ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है।

16. **उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामेक) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापार को संचालित करता है। इसका प्रावधान इसके व्यापार क्रियाकलापों के लिए निगम द्वारा कार्यशील पूंजी उपयोग करने के लिए किया गया है।

17. **उत्तर पूर्व हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लि.:** उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) को मार्च 1977 में इस क्षेत्र के उत्पादों तथा डिजाइन विकास, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा तैयार उत्पादों के विपणन के लिए विकासात्मक एवं प्रोत्साहन संबंधी आदान प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। मंत्रालय प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि जैसे संबद्धनात्मक क्रियाकलापों में होने वाली नकदी हानी को पूरा करने के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण मुहैया कराता है।